न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :– प्रिया बजाज आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या :– 13/2023 जीसीएमएस 2023/25

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना, जिला श्रीगंगानगर राज.।
....वादी

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र मेघराज जाति सिन्धी साकिन न.म. घड़साना जिला श्रीगंगागनगर राज0।
2. हरीश पुत्र मेघराज जाति सिन्धी साकिन न.म. घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

....प्रतिवादीण

उपस्थितः– 1. वादी स्टेट की ओर से राजपैरोकार।
2. श्री अजय सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1) अ
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18.02.2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177(1) अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी का स्थाई एवं पंजीकृत पता वही है जो शीर्षक में अंकित है। तहसील घड़साना के चक 19 एमडी के प0न0 24/25 के कि.न. 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24 का 1.265 है0 रकबा गै0मु0 औधोगिक(ईंट भट्टा)/रास्ता व कि0न0 21, 22 का 0.506 है0 अ0क0 रकबा हरिश पुत्र मेघराज जाति सिन्धी सा0 न.म. घड़साना एवं कि.न. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 19, 20 का 4.307 है0 अ0क0 /रास्ता रकबा श्रवण कुमार पुत्र मेघराज जाति सिन्धी सा0 न0म0 घड़साना खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से प0नं0 24/25 (मु0न0 33) का कि.न. 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 19, 20, 21, 22 का कुल 4.732 है0 अ0क0 रकबा को वाद पत्र में आगे विवादित भूमि कहा जायेगा। प्रमाणित जमाबंदी वर्ष 2019 से स्थायी, हल्का पटवारी रिपार्ट मय नजरी नक्शा, मौके फोटो सलंग्न वाद पत्र है। मुझ प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से उक्त विवादित भूमि की मौका की जांच रिपोर्ट ली गयी।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

जांच रिपोर्ट के मुताबिक उपरोक्त कृषि भूमि चक 19 एमडी के प0न0 24/25 के कि0न0 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24 का 1.265 है0 रकबा गै0मु0 औद्योगिक(ईंट भट्टा) /रास्ता व किला नं0 21, 22 का 0.506 है0 अ0क0 रकबा हरिश पुत्र मेघराज जाति सिन्धी सा0 न0म0 घड़साना एवं किला नं0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 19, 20 का 4.301 है0 अ0क0/रास्ता रकबा श्रवण कुमार पुत्र मेघराज जाति सिन्धी सा0 न0म0 घड़साना खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। हल्का पटवारी रिपोर्ट नजरी नक्शा संलग्न वाद पत्र है। चक 19 एमडी के प0नं0 24/25 (मु0नं0 33) का किला नं0 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 19, 20, 21, 22 का कुल 4.732 है0 अ0क0 रकबा कृषि भूमि पर प्रतिवादी द्वारा मिट्टी का ढेर, मकान बना कर अकृषि कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत बिना रूपान्तरित करवाये अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) प्रयोजनार्थ) उपयोग में लिया जा रहा है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1)अ आरटीए के तहत कार्यवाही की जावें। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि को आकृषि कार्य के उपयोग में लेने से राज0 काश्ताकारी के अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंधन है एवं आवंटन शर्तों के विरूद्ध होने के कारण खातेदारान की भूमि का आवंटन खारिज कर आराजीराज दर्ज किया जाना न्यायोचित है क्योंकि खातेदारान ने कृषि भूमि पर अकृषि कार्य कर कानूनी प्रावधानों की उल्लंघना की है। विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में है एवं दो प्रतियों मे पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि तहसील घडसाना के चक 19 एमडी के प0नं0 24/25 के कि.न. 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24 का 1.265 है0 रकबा गै0मु0 औद्योगिक(ईंट भट्टा)/रास्ता व कि0नं0 21, 22 का 0.506 है0 अ0क0 रकबा हरिश पुत्र मेघराज जाति सिन्धी सा0 न.म. घड़साना एवं किन 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 19, 20 का 4.301 है0 अ0क0/रास्ता रकबा श्रवण् कुमार पुत्र मेघराज जाति सिन्धी सा0 न0म0 घड़साना खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना अनुमति के अकृषि कार्य (ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ) हेतु उपयोग में ली जा रही भूमि चक 19 एमडी प0न0 24/25 (मु0न0 33) का कि.न. 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 19, 20, 21, 22 का कुल 4.732 है0 अ0क0 रकबा को राजकीय भूमि में समायोजित किया जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से जरिये वकील जवाब दावा पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है, मद संख्या 2 रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है शेष मद अस्वीकार है, मद संख्या 3 में वर्णित रकबा विवादित भूमि नही है जिस कारण गलत ब्यानी अस्वीकार है, बाकि मद रिकार्ड से सम्बंधित है। मद संख्या 4 गलत ब्यानी होने के कारण अस्वीकार है। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के प0न0 24/25 के किला नं. 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 19, 20, 21, 22 में अकृषि कार्य नही किया है एवं ना ही नियमों के विरूद्ध कोई कार्य किया है। क्योंकि गत वर्ष प्रतिवादीगण का ईन्ट भट्टा आंशिक रूप से बन्द रहा है। मद संख्या 5 गलत ब्यानी होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया है एवं ना ही आवंटन शर्तों के खिलाफ जाकर कोई गति विधि की है। मद संख्या 5 कानूनी है। इसके अतिरिक्त कथन किया गया कि प्रतिवादीगण श्रवणकुमार पुत्र मेघराज जाति सिन्धी साकिन नई मण्डी घडसाना, हरीश पुत्र मेघराज जाति सिन्धी साकिन नई मण्डी घड़साना की कृषि भूमि तहसील घडसाना के चक 19 एमडी के प0न0 24/25 के किला नं0 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24 में 1.265 हैक्ट0 रकबा गैर मु0 औद्यौगिक (ईन्ट भट्टा) /रास्ता व किला नं. 21, 22 का 0.506 हैक्ट0 रकबा एवं किला नं 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 19, 20 का 4.301 हैक्ट0 अ0क0/रास्ता रकबा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा चक 19 एमडी के प.न. 24/25 मुरब्बा नं. 33 किला न. 1, 2, 3, 4, 5/1 (0.228), 6/1, (0.228), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1 (0.228), 19, 20, 21, 22 कुल 4.479, हैक्ट0 भूमि पर खान एवं भू–विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर द्वारा पूर्व में जब प्रतिवादीगण द्वारा उक्त ईन्ट भट्टा श्रीमति बादू देवी पिता केशूराम को पट्टा पर दिया हुआ था बादू देवी द्वारा ईन्ट भट्टा के अलावा खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग सुदामा नगर श्रीगंगानगर ईन्ट मिट्टी के पथेर हेतू वर्णित कृषि भूमि की कुल 3.011 हैक्ट0 रकबा का परमिट स्वीकृत आदेश क्रमांक खअ/श्रीगंगा/ई.मि./45/20/2020/रेफरेंस नं. 20204000025274 दिनांक 23/09/2020 से 5 वर्ष तक का करवाया हुआ है एवं वर्तमान में उक्त ईन्ट भट्टा भट्टा श्री जितेन्द्र गोदारा पुत्र मोहनराम को ईंट भट्टा पट्टा (ठेका) पर दिया हुआ है। उक्त ईंट भट्टा का परमिट स्वीकृति आदेश क्रमांक 4862–68/13.03.2023 से ईन्ट भट्टा पथैर हेतु लीज स्वीकृति दिनांक 30/09/2024 तक होने के कारण नियमों के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा औद्यौगिक ईन्ट भट्टा की कनवर्जन भूमि चक 19 एमडी के प0न0 24/25 मुरब्बा नं. 33 किला नं. 16/1(0.228), 17, 18, 23, 24 सालम कुल 1.240 हैक्ट0 के अलावा वर्णित चक 19 एमडी के पं0न0 24/25 मुरब्बा नं, 33 किला न. 1,2,3,4,5/1(0.228), 6/1(0.228), 7, 8, 9, 10, 11,

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

12, 13, 14, 15/1(0.228), 19, 20, 21, 22 सालम कुल 4.479 हैक्ट0 तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर की खनन पथेर हेतू लीज स्वीकृत है इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा भूतकाल व वर्तमान में कभी भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियत के प्रावधानों का उल्लघंन व आवंटन शर्तों का उल्लघंन नही किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रतिवादीगण के खिलाफ दायर वाद पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के जवाब प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादी चक 19 एमडी के प0 नं0 24/25 के किला नं0 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 19, 20, 21, 22 की कुल 4.732 है0 अ0क0 रकबा में प्रतिवादीगण द्वारा बिना अनुमति के अकृषि कार्य करते हुए ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर उक्त रकबा को राजकीय भूमि में समायोजित करवाने का अधिकारी है। सिद्ध करने का भार वादी
2. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है। सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण

तनकीयात कायम होने के बाद पैरोकार राज को बार–बार अवसर देने के बावजूद भी साक्ष्य वादी नहीं करवाई गई तो साक्ष्य वादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी सं0 2 हरीशकुमार की साक्ष्य करवाई जाकर जमाबन्दी औद्योगिक ईंट भट्टा एवं पट्टा परमिट पथेर को प्रदर्शित करवाया गया।

पैरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस राजकीयपैरोकार ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया एवं वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद कारण नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है। इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर तनकीयात का बिन्दुवार विश्लेषण निम्न प्रकार से पाया जाता है–

- **तनकी संख्या** 1 : आया कि वादी चक 19 एमडी प0न0 24/25 (मु0न0 33) का कि.न. 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 19, 20, 21, 22 का कुल 4.732 है0 अ0क0 रकबा में प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति के अकृषि कार्य करते हुए ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर उक्त कृषि भूमि को राजकीय भूमि में समायोजित करवाने का अधिकारी है? इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। पैरोकार राज को बार–बार अवसर देने पर भी

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है। इस प्रकार वादी इस तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा है जबकि प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है कि उसके द्वारा अपनी कृषि भूमि में कोई भी अकृषि कार्य नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तनकी विरूद्ध वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

- **तनकी संख्या 2** : आया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है? इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 2 की साक्ष्य करवाई जाकर औद्योगिक ईंट भट्टा की जमाबन्दी तथा खान एवं भू–विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर से जारी पथेर का परमिट प्रदर्शित करवाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर परमिट लेकर ही अकृषि कार्य किया गया है। पैरोकार राज द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर बिना अनुमति के अकृषि कार्य किया गया हो। इस प्रकार प्रतिवादीगण इस तनकी को अपने पक्ष में पूर्णतः साबित करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार विश्लेषण करने एवं बहस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पैरोकार राज द्वारा अपना कोई ऐसा पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रतिवादीगण द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादी का यह वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

18/2/26

प्रिया बंजारा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना